न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी अरविन्द कुमार जाखड़ आर ए एस

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./70/2018/बाड़मेर

अपीलांट

रेस्पोडेंटगण

1. मगसिंह पुत्र मूलसिंह वगै. **बनाम** 1.हड़मतसिंह पुत्र भारतसिंह वगै.

अपीलांट का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी वास्ते निर्णय

उपस्थित

1. वकील श्री सुनिल के मेराजा प्रार्थी आवेदक की ओर से
2. वकील श्री रिणछाराम सियाग रेस्पोडेंट संख्या 01 से 02 की ओर से
3. श्री हरिराम चौधरी राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 03 व 04 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः– 20.10.2021

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी पी सी पर बहस करते हुए उसने उसमें अंकित बिंदुओं को दोहराते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 08.06.2017 के विरूद्ध हस्तगत अपील श्रीमान के समक्ष पेश की गई है जिसमें उतरदातागण संख्या 01 व 02 के पक्ष में खातेदारी की घोषणा पत्रावली पर आये तथ्यों एवं दस्तावेजों की अनदेखी करते हुए पारित की गई। विवादित आराजी पर अपीलांट राजस्व दस्तावेज गिरदावरी व जुर्माना रसीदों के अनुसार संवत 2027 से आज दिन काबिज हैं, किन्तु उसके पश्चात भी उतरदाता संख्या 01 व 02 वादीगण द्वारा अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालयके समक्ष वादपत्र में पक्षकार नहीं बनवाया तथा न ही कोई सुनवाई का अवसर दिया इसलिये आलौच्य निर्णय डिक्री पर्चा में अपीलांट पक्षकार नहीं है किन्तु विवादित आराजी पर राजस्व दस्तावेजों अनुसार अपीलकर्तागण स्थापित रूप से 48 वर्षो से काबिज होने से विवादित आराजी के हितग्रही हैं, इसलिये तृतीय पक्ष के रूप में वाद में पक्षकार नहीं होते हुए भी अपील पेश करने के अधिकारी है। अपीलांटस/प्रार्थी अपीलाधीन निर्णय व डिक्री से प्रभावित एवं पिड़ित पक्षकार है, इसलिये अपीलांट को अपील पेश करने की अनुमति दी जानी न्यायोचित है। अतः अपीलांट का आवेदन स्वीकार फरमाया जावे।

राजस्व अपील अ... बाड़मेर

अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 01 से 02 ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी पी सी पर अपनी प्रारंभिक आपतियां पेश करते हुए बहस में बताया कि रेस्पोडेंटगण वादग्रस्त आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार है। अपीलांटस वादग्रस्त आराजी के खातेदार नहीं है। अपीलांट का हस्तगत प्रकरण से किसी प्रकार का कोई हित प्रभावित नहीं होता है। अपीलांट द्वारा अपील पेश कर रेस्पोडेंट को तंग एवं परेशान करने की नियत से अपील पेश की जा रही है। अपीलाधीन आराजी में अपीलांट का किसी प्रकार का कोई हित निहित नहीं है। हस्तगत प्रकरण में अपीलांट हितबद्ध पक्षकार नहीं होने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत 96 सी पी सी का प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जाकर अपील इसी स्टेज पर खारिज फरमाई जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
– बाड़मेर

राजकीय अभिभाषक ने अन्तर्गत धारा 96 सी पी सी पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांटस वादग्रस्त आराजी के खातेदार नहीं है। अपीलाधीन आराजी राजकीय सिवायचक भूमि है जिस पर खातेदारी अधिकार देना प्रतिबंधित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आलोच्य निर्णय व डिक्री के विरूद्ध न्यायालय हाजा में भूमिपति तहसीलदार गिड़ा द्वारा अपील दायर कर रखी है जो इसी वादग्रस्त आराजी को लेकर है। इसलिए अपीलांट का उक्त राजकीय भूमि में किसी प्रकार का कोई हक हिस्सा नहीं है। इसलिए अपीलांट की अपील को इसी स्टेज पर खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्ष को प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पर सुना गया। पत्रावली का गंभीरता पूर्वक अवलोकन किया। अपीलाधीन आराजी राजकीय सिवायचक भूमि है जिस पर किसी पक्षकार को अतिक्रमी की हैसियत से खातेदारी अधिकारी प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है। अपीलाधीन आराजी पर अपीलांटगण का हित किसी प्रकार से निहित है इस संबंध में किसी प्रकार का रिकॉर्ड पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अपीलांटस वादग्रस्त भूमि का न तो खातेदार रूप में हक दर्शाता है और न ही इसका कोई सीधा संबंध ही प्रकट करता है। रेस्पोडेंट संख्या 01 व 02 को यह भूमि 08.06.2017 को दावे में डिक्री होकर खातेदारी में मिली है जो राजकीय सिवायचक भूमि है। जिसमें अपीलांट एवं रेस्पोडेंटस संख्या 01 व 02 का कोई प्रत्यक्ष हित निहित नहीं है, न ही वह पीड़ित या प्रभावित पक्षकार ही है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपीलांटस वादग्रस्त आराजी का हितबद्ध, प्रभावित एवं पिड़ित पक्षकार नहीं ठहरते है। अतः अपीलांट का आवेदन अंतर्गत धारा 96 सी पी सी सारहीन होने से खारिज योग्य है।

लिहाजा उसको अपील प्रस्तुति की अनुमति नहीं दी जा सकती। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत धारा 96 सी पी सी सारहीन होने से खारिज किया जाता है।

चूंकि अपील में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 96 सी पी सी का आवेदन खारिज किया जा चुका है इसलिए उसे अपील प्रस्तुत की अनुमति नहीं है। अपील ग्रहण योग्य नहीं है लिहाजा अपीलांट की अपील खारिज की जाती है।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 20.10.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर